1. संघ और उसका राज्य क्षेत्र →
(भाग-1, अनुच्छेद 1-4 तक)

अनुच्छेद-1 इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा।
(India is the Union of states)

Note → संविधान में संघ (Federation) शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। अपितु इसकी जगह Union शब्द का प्रयोग किया गया है।

अनुच्छेद-3. संसद अपने साधारण बहुमत से नये राज्यों का गठन कर सकती है तथा राज्यों के नाम सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है।

2. नागरिकता के प्रावधान →
(भाग-2, अनुच्छेद 5-11 तक)

3. मूल अधिकार / मौलिक अधिकार →
(भाग-3, अनुच्छेद - 12-35 तक)

* संविधान में मूल रूप से 7 सात मूल अधिकार दिये गये थे। परन्तु वर्तमान 6 प्राप्त है क्योंकि इनमें से 1 सम्पत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।

* मूल अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति न्यायपालिका की अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है।

* अनुच्छेद 20 व 21 में दिये गये मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते।

अनुच्छेद-12 → में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है।
अनुच्छेद-13 → में प्रावधान है कि पूर्व में प्रचलित विधियाँ या कानून जो मूल अधिकारो से असंगत है। इनका अल्पीकरण करते है, वह स्वतः ही समाप्त माने जायेगे। इसे आच्छादन का सिद्धान्त भी कहते है।

* मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है।
* मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किये जा सकते है।
* अनुच्छेद 19 में दिया गया मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल होते ही स्वतः निलंबित हो जाता है।
* अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 में दिये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिको को प्राप्त है, (विदेशीयो को नही)
* मूल अधिकार वाद योग्य है, इन्हे कानूनी शक्ति प्राप्त है इनका हनन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
* 7 मूल अधिकार निम्नलिखित है — 22 June 2019

1 समानता का मूल अधिकार (अनुच्छेद 14-18) →

अनुच्छेद-14 → विधि या कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद-15 → धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान एवं मूलवंश (नस्ल) के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद-16 → लोक नियोजन (सरकारी क्षेत्र में नौकरी) में अवसर की समानता।

अनुच्छेद-17 → अस्पृश्यता या छूआछूत का अंत।

अनुच्छेद 18 → उपाधियों का अंत (पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आदि पुरस्कार देने का प्रावधान अनु-18 में है)

2. स्वतंत्रता का मूल अधिकार → (अनुच्छेद 19-22)

अनुच्छेद-13 के अन्तर्गत मूल अधिकारो का हनन करने वाली विधियों को सर्वोच्च न्यायालय "न्यायिक पुनरविलोकन" की शक्ति के अंतर्गत समाप्त कर सकता है।

(1) अनुच्छेद 19 (1) → विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता)
अनुच्छेद 19(ii) → सभा करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(iii) → संघ एवं समुदाय तथा सहकारी समितियों बनाने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(iv) → आने जाने, यात्रा एवं भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(v) → बसने या निवास करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(vi) → सम्पति के अर्जन, धारण एवं व्यय करने की स्वतंत्रता। (44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त)
अनुच्छेद 19(vii) → वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।

Note → 1. अनुच्छेद 19 में दिया गया मूल अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्य में भारत के अन्य राज्यों के नागरिको को भी प्राप्त होती।

2. 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(vi) में दी गई स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है।

(2) अनुच्छेद 20 → अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

3. अनुच्छेद 21 → प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार (जीवन का मूल अधिकार) *(निजता का मूल अधिकार)

*अनुच्छेद 21(क) → शिक्षा का मूल अधिकार
86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6-14 वर्ष के बालको के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का यह नया मूल अधिकार बनाया गया।

4. अनुच्छेद 22 → गिरफ्तारी व निरोध (नजरबंदी) से संरक्षण

Note → सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार माना है।

24 सितम्बर 1993 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश अधिनियम बनाया गया - यह विध्वंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया जो 1985 में लागू किया गया / इसे टाडा कहा गया / टाडा कानून 23 मई 1995 तक लागू रहा /
2003 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में पोटा कानून पारित किया गया (मनमोहन सरकार ने 2004 में समाप्त कर दिया)

3. शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार [अनु. 23 व 24]

अनुच्छेद 23 → मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 → बालश्रम का प्रतिषेध अर्थात 14 वर्ष तक के बालकों से कारखानों आदि में भारी काम करवाने का निषेध /

4. धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार [अनु 25 से 28]

अनुच्छेद 25 → अंत:करण की स्वतंत्रता अर्थात अपने मन से धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता /
→ धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता /
→ धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता → सिक्खों के द्वारा कृपाण, मुस्लिमों के द्वारा टोपी, हिन्दुओं के द्वारा जनेऊ धारण करना)
→ धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता /

अनुच्छेद 26 → धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 → धर्म की अभिवृद्धि के लिए किये गये खर्चों में करों में संदाय की स्वतंत्रता /
[दान, दक्षिणा व चंदा देने पर कर में छूट]

अनुच्छेद 28 → सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक शिक्षा देने का निषेध

5. संस्कृति व शिक्षा का मूल अधिकार [अनु 29 व 30]

अनुच्छेद 29 → नागरिकों का अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार /
(अल्पसंख्यकों के लिए)

अनुच्छेद 30 → अल्पसंख्यक वर्गों का अपने शिक्षण संस्थाएं खोलने व उनका प्रशासन करने का अधिकार।

6. सम्पति का मूल अधिकार (अनु-31)

इसे ★44 वे संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके अनुच्छेद 300 (क) में सम्पति का कानूनी अधिकार बना लिया गया है।

7. संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार [अनु. 32 - 35]

* इसे डॉ भीमराव अम्बेडकर ने "संविधान की आत्मा / ~~कुंजी~~ हृदय" कहा है।
* यह मूल अधिकार की रक्षा करने का अधिकार है।
* इसके अन्तर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार की रिट / लेख जारी करते है →

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण → यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी होती है।
→ यह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर प्रस्तुत नहीं करने पर जारी होती है।
→ "बंदी प्रत्यक्षीकरण" का शाब्दिक अर्थ "बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना" है।

2. परमादेश → (मैं आदेश देता हूँ) इसके अंतर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय सरकार / अधिकारियों को मूल अधिकारों की रक्षा करने का आदेश देते है। (राष्ट्रपति व राज्यपाल को छोड़कर)

3. प्रतिषेध (रोकना) → इसके अंतर्गत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित कारवाही को तुरंत रोकने का आदेश देते है।

4. उत्प्रेषण (ऊपर की ओर भेजना) → इसके अंतर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मामले को नीचे के न्यायालय को अपने पास भेजने का आदेश देते है।

5. अधिकारपृच्छा → यह उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है जिसने गलत तरीके से कोई सार्वजनिक या सरकारी पद धारण कर लिया हो तो न्यायालय उससे पूछता है कि "आपको यह अधिकार किसने दिया है।